

21

11.4.18

(नियम 26)

30/4/18

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

किशनगढ़ (अजमेर)

31/7/18

11/8/18

भरियर श्री नृसिंह जी महाराज नाबाकिंग जरिये संरक्षक आराधक व पुजारी हरिप्रसाद
पुत्र गणपतलाल जाति वैष्णव निवासी भोगादीत तहसील अंराई जिला अजमेर राज0

issue

20/9/18

भरिय

17/12/18

बनाम

1. मगन कंवर पत्नि स्व0 अमरदान जाति चारण निवासी भोगादीत तहसील अंराई जिला
अजमेर राज0 व अन्य

प्रतिवादीगण

किस्म मुकदमा - 88, 188, 92ए रा.का. अधि.

22 / 2018

ऑन लाईन नंबर 2018 / 00022

वकील वादी श्री महावीर मालाकार

वकील प्रतिवादीगण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
22.03.2018	<p>यह प्रार्थना पत्र वादी की ओर से वकील श्री महावीर मालाकार ने अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए रा0का0 अधिनियम के तहत पेश किया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का आवलोकन किया, वकील वादी को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 06.03.2018 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)</p> <p>दि. 6/3/18</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील पत्राकारान ऊ पी ओ. साहव दीर/अवकाश पर पधारें हैं।</p> <p>वकील पत्रावली पेश की जाकर दि. 30/4/18</p> <p>उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़</p>	<p>11/4/18</p>

20/6/15

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारण उप।

~~नवनिमत कलम 22~~

पत्रावली दिनांक 22/8/15 को पेश

उपस्थान अधिकारी

उराई

22/8/15

~~पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप। पत्रावली
याफ्त नवनिमत हेतु दिनांक 17/10/15 को पेश की~~

17/10/15

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप। नवनिमत
कलम में क्रम-2 का तीन बार काका ने लगाव कर दिया
किन्तु पक्षकारण उप। पत्रावली कलम का पक्ष
एवं वास्तव में शकरीय सिद्धांत है।
पत्रावली केवल शुभाल होकर नबलने मजदा
WA